रजि० सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D.-(D.)73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1979/आषाढ़ 30, 1901

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1979/ASADHA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

(विधि साहित्य प्रकाशन)

नई दिल्ली, 22 मई, 1979

सा० का० नि० 950.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, समूह "घ" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1970 की अनुसूची में, मजदूर के पद से सम्बद्ध क्रम सं० 6 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
"7. बढ़ई-एवं-मजदूर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ"	200-3-206-4-234-द० रो०-4-250 रु०	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	आवश्यक : (i) बढ़ईगिरी का अच्छा ज्ञान और अनुभव होना चाहिए; (ii) हिन्दी पढ़ने और लिखने में सक्षम हो।

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली 2 जुलाई 1979

सा०का०नि० 981.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति डाक तार विभाग (लाइनमैन/उप-निरीक्षक/लाइन निरीक्षक) भर्ती नियम, 1978 में संशोधन कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक तार विभाग (लाइनमैना/उप-निरीक्षक/लाइन निरीक्षक) भर्ती (संशोधित) नियम 1979 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक तार विभाग (लाइनमैन/उप-निरीक्षक/लाइन निरीक्षक) भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में लाइनमैन के पद के संबंध में क्रमांक 1 में:—

(क) काम 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

"(i) उम्मीदवारों को 8वीं कक्षा के समकक्ष शैक्षणिक स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ii) जो उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं वे योग्यता परीक्षा के पराधीन होंगे।

(iii) चयन प्रवेश परीक्षा एवं योग्यता परीक्षा के आधार पर बनाई गई गुणानुक्रम सूची के अनुसार किया जायेगा।"

(ख) कालम 9 के नोट 2 की मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा तथा मद (iii) को मद (ii) के बतौर पुनः संख्या डाली जायेगी।

(ग) कालम 10 के नोट 1 के स्थान पर निम्नलिखित नोट को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

"नोट-1—जिन उम्मीदवारों के पास विभागीय निर्माण या अनुरक्षण पार्टियों के साथ कार्य करने का 6 महीने का अनुभव नहीं है उन्हें लाइनमैन के बतौर नियुक्ति से पूर्ण कम से कम छै महीने की अवधि के लिये विभागीय निर्माण या निर्माण पार्टियों के साथ अपनी इच्छा से कार्य करना होगा।"

[सं० 25-3/71-एन०सी०जी०]

एम०एस० यज्ञ नेश्वरन, सहायक महानिदेशक (एस०टी०एन०)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts & Telegraphs Board)

New Delhi, the 2nd July, 1979

G.S.R. 981.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Posts and Telegraphs Department (Linemen, Sub-Inspectors and Line-Inspectors) Recruitment Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Posts and Telegraphs Department (Linemen, Sub-Inspectors and Line-Inspectors) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Posts and Telegraphs Department (Linemen, Sub-Inspectors and Line-Inspectors) Recruitment Rules, 1978, in serial No. 1 relating to the post of "Linemen",—

(a) in column 6 for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

"(i) The candidates shall qualify in an entrance test of educational standard equivalent to 8th Class;

(ii) The candidates who qualify in the entrance test shall be subjected to an aptitude test;

(iii) Selection shall be made in accordance with the merit list prepared on the basis of entrance test and aptitude test.";

(b) in column 9, in Note 2, the item (ii) and the entry relating thereto shall be omitted and item (iii) shall be renumbered as item (ii);

(c) In column 10, for Note 1, the following Note shall be substituted; namely :—

"Note 1.—Such employees who have no working experience of six months duration in the departmental construction or maintenance parties should volunteer for such working in the departmental construction or construction parties for a period not less than six months before they are considered for appointment as linemen."

[No. 25-3/71-NCG]

M. S. YEGNESHWARAN,
Asstt. Director General (STN)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1979

सा० का० नि० 982.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1979 है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में, पैरा 1 में उप पैरा 3 के खण्ड (ख) में उपखण्ड (85) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(86) फैरो क्रोम उद्योग, अर्थात् भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 938 तारीख 25 जून, 1979 में विनिर्दिष्ट फैरो क्रोम के विनिर्माण में लगे किसी उद्योग की बाबत 31 जुलाई, 1979 को प्रवृत्त होंगे"।

[सं० एस० 35016(1)76-पी० एफ० II(ii)]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th July, 1979

G.S.R. 982.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Second Amendment) Scheme, 1979.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, after, sub-clause (LXXXV), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(LXXXVI) as respects the Ferro Chrome Industry, that is to say, and industry engaged in the manufacture of Ferro Chrome specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 938, dated the 25th June, 1978 come into force on the 31st July, 1979".

[No. S. 35016(1)/76-PF II(ii)]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

Attested.